

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2023—आश्विन 29, शक 1945

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2023

क्र. 15—वि. निर्वा.—चार—2023—136.— महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश एवं भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं, उनके अंग्रेजी रूपांतरण सहित, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

1. क्रमांक 15—विधि निर्वा.—चार—म.प्र.—वि.स.—2023, दिनांक 21 अक्टूबर 2023
2. क्रमांक 464—म.प्र.—वि.स.—2023, दिनांक 21 अक्टूबर 2023

राजेश कुमार कौल, सचिव.

21 अक्टूबर, 2023

क्र 15—विधि निर्वा.—चार—म.प्र.—वि.स.—2023—यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, दिनांक 06 जनवरी, 2024 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल, राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

राज्यपाल के नाम पर उनके आदेश से,

इकबाल सिंह बैस,

मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य सचिव.

21st October, 2023 (SATURDAY)

क्र 15-विधि निर्वा.-चार-म.प्र.-वि.स.-2023- **WHEREAS**, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 06th January, 2024 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Madhya Pradesh is, hereby, pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State Madhya Pradesh, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of Governor,
IQBAL SINGH BAINS,
Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर, 2023-29 आश्विन, 1945 (शक)

सं. 464-म.प्र.-वि.स.-2023

अधिसूचना

यतः, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी और 21 अक्टूबर, 2023 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, में से प्रत्येक से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्विनिर्देशित बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा:-

(अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से, उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	30 अक्टूबर, 2023 (सोमवार);
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	31 अक्टूबर, 2023 (मंगलवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	2 नवम्बर, 2023 (गुरुवार);
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा,	:	17 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार);
(ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	3 दिसम्बर, 2023 (रविवार)

नियत करता है; और

(आ) सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक का समय नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ, तो सभी विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचन के लिए ऊपर निर्दिष्ट तिथि पर मतदान सम्पन्न किया जाएगा सिवाए,

- (i) बालाघाट जिले में शामिल तीन विधानसभा क्षेत्र नामतः, 108- बैहर(अ. ज. जा.), 109- लांजी और 110- परसवाड़ा के सभी मतदान केन्द्रों,
- (ii) मंडला जिले के अंतर्गत आने वाले 105-बिछिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 47 मतदान केन्द्रों (118, 135 से 138 तक, 140, 142, 144, 145, 193, 198, 200, 201, 202, 204, 251, 262 से 265 तक, 268, 271 से 274 तक, 276, 278 से 281 तक, 283 से 288 तक, 291, 292, 294, 297 से 304 तक) और 107- मंडला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 8 मतदान केन्द्रों (65, 66, 67, 69, 70, 107, 108 तथा 130),
- (iii) डिण्डौरी जिले में शामिल 104- डिण्डौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 40 मतदान केन्द्रों (129, 142 से 150 तक, 157 से 159 तक, 195 से 199 तक, 270, 279 से 284 तक, 298, 299, 300, 305, 308, 310 से 319 तक) के,

जिनके लिए निर्वाचन के लिए सुबह 07:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो इन मतदान केन्द्रों के संबंध में निर्वाचन के लिए ऊपर निर्दिष्ट तिथि पर मतदान सम्पन्न किया जाएगा।

आदेश से,
हस्ता./—
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 21st October 2023–29 Asvina, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 464/MP-LA/2023:- WHEREAS, the Governor of the State of Madhya Pradesh has, by a notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 21st October, 2023 (Saturday), been pleased to call upon all the Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies:-
- (a) the 30th October, 2023 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 31st October, 2023 (Tuesday), as the date for scrutiny of nominations;
 - (c) the 2nd November, 2023 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures;
 - (d) the 17th November, 2023 (Friday), as the date, on which a poll shall, if necessary be taken; and
 - (e) the 3rd December, 2023 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) Fixes the hours from 7.00 AM to 6.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election in respect of all the Assembly Constituencies **except**,

(i) All Polling Stations of 3 Assembly Constituencies comprised within the District of Balaghat, (namely 108-Baihar (ST), 109-Lanji and 110-Paraswada),

(ii) 47 Polling Stations (118, 135-138, 140, 142, 144, 145, 193, 198, 200, 201, 202, 204, 251, 262-265, 268, 271 -274, 276, 278-281, 283-288, 291, 292, 294, 297-304) under 105- Bichhiya Assembly Constituency and 8 Polling Stations (65, 66, 67, 69, 70, 107, 108, 130) under 107-Mandla Assembly Constituency comprised within the District of Mandla,

(iii) 40 Polling Stations (129, 142-150, 157-159, 195-199, 270, 279-284, 298, 299, 300, 305, 308, 310-319) under 104- Dindori Assembly Constituency comprised within the District of Dindori,

for which, fixes the hours from 07.00 am to 3.00 pm as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election in respect of these Polling Station.

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.